



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

सहायक संचालक आवास एवं पर्यावरण विभाग के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 08/चयन/2010/26.07.2010

ऑनलाइन आवेदन करने की

अंतिम तिथि 01.09.2010

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त

करने की अंतिम तिथि 01.10.2010

महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र दिनांक 01.08.2010 (दोपहर 12.00) से 01.09.2010 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरें जा सकते हैं।
3. जमा आवेदन-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 01.10.2010 (सायं 5.30 बजे तक) निर्धारित है।

एक- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आवास एवं पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत निम्नलिखित बैकलॉग पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं-

क्र.	पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या	
			अनु. जाति	अनु. जनजाति
1.	सहायक संचालक (योजना) (Assistant Director (Planning))	04	02	02
2.	सहायक संचालक (सर्वे प्रोजेक्ट) (Assistant Director (Survey Project))	01	00	01
3.	सहायक संचालक (रिसर्च) (Assistant Director (Research))	01	00	01

टीप:- (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) चयनित आवेदक की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी।

दो. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित उक्त पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। अन्य श्रेणी के आवेदक कृपया आवेदन न करें।

तीन. पद का विवरण-

- 01 (अ) पद का नाम : सहायक संचालक योजना
(Assistant Director (Planning))
- (ब) विभाग का नाम : आवास एवं पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन
- (स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (द) वेतनमान : रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ता तथा अन्य देय भत्ते होंगे।
- (इ) अनिवार्य अर्हताएं : शैक्षणिक- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से नगर निवेश/क्षेत्रीय निवेश, यातायात एवं परिवहन (भू-दृश्य लैंड स्केप) वास्तुकला, नगर रूपांकन एवं गृह निर्माण में उपाधि या उसके समकक्ष पत्रोपाधि। या संस्था की सह सदस्यता के लिये नगर निवेशक (भारत) संस्था द्वारा संचालित नगर निवेश परीक्षा।
- (ज) पद के कर्तव्य-
- (1) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कर परीक्षण टीप सहित प्रकरण उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- (2) अधीनस्थ जिला कार्यालयों से प्राप्त विकास योजना प्रस्तावों का विधिक रूप से परीक्षण कर उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त कर मुद्रण/प्रकाशन की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- (3) प्रादेशिक योजनाओं को तैयार करना।
- (4) राज्य तथा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की तैयारी करना, पर्यवेक्षण, परीक्षण आदि।
- (5) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक सभी सर्वेक्षण, अधीनस्थ कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदत्त कर कार्य करवाना तथा ऐसे कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
- (6) अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन, उनके कार्यों पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण।
- (7) समय-समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा सौंपे गये कार्य करना।
- 02 (अ) पद का नाम : सहायक संचालक (सर्वे प्रोजेक्ट)
Assistant Director (Survey project)
- (ब) विभाग का नाम : आवास एवं पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन
- (स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (द) वेतनमान : रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ता तथा अन्य देय भत्ते होंगे।
- (इ) अनिवार्य अर्हताएं : शैक्षणिक- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि या सर्वेक्षण संस्था (भारत) द्वारा संचालित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण। या इंजीनियरिंग संस्था (भारत) की सह सदस्यता 'अ' और 'आ' अनुभाग।
- (ज) पद के कर्तव्य-
- (1) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कर परीक्षण टीप सहित प्रकरण उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- (2) अधीनस्थ जिला कार्यालयों से प्राप्त विकास योजना प्रस्तावों का विधिक रूप से परीक्षण कर उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त कर मुद्रण/प्रकाशन की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- (3) प्रादेशिक योजनाओं को तैयार करना।
- (4) राज्य तथा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की तैयारी करना, पर्यवेक्षण, परीक्षण आदि।

(5) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक सभी सर्वेक्षण, अधीनस्थ कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदत्त कर कार्य करवाना तथा ऐसे कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

(6) अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन, उनके कार्यों पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण।

(7) समय-समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

03 (अ) पद का नाम : सहायक संचालक (रिसर्च)

(Assistant Director (Research))

(ब) विभाग का नाम : आवास एवं पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन

(स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(द) वेतनमान : रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ता तथा अन्य देय भत्ते होंगे।

(इ) अनिवार्य अर्हताएं : शैक्षणिक- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/भूगोल/सांख्यिकी/गणित/वाणिज्य/समाज विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

(फ) अधिमान्यता : उन आवेदकों को अधिमान दिया जायेगा जिनके पास सांख्यिकी या नगर निवेश कार्य में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

(ज) पद के कर्तव्य-

(1) क्षेत्रीय योजना/विकास योजनायें तैयार करने हेतु संकलित सांख्यिकी के आधार पर विकास योजना रिपोर्ट भाग-एक का प्रतिवेदन तैयार करना। विधि/बजट से संबंधित कार्य तथा रिसर्च से संबंधित अधीनस्थ अमल को मार्गदर्शन देना।

(2) समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

टीप- आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं अंतिम तिथि, तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

चार. आयु सीमा- 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो परंतु 28 वर्ष पूर्ण न की हो। आयु संगणना तिथि 01.01.2011 होगी।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है।

मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्थायी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम छूट वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

आयु सीमा में अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-एक देखें।

पांच. मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अर्हता -

अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

छः. महत्वपूर्ण- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

सात. अधिवाषिकी आयु- 60 वर्ष

आठ. चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम है और इस अर्हता के होने मात्र से ही कोई आवेदक साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का हकदार नहीं हो जाता। यदि विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिए इन सभी आवेदकों का साक्षात्कार करना व्यवहारिक नहीं हो तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं की अपेक्षा उच्चतम अर्हताओं के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा द्वारा अथवा आयोग द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रिया द्वारा आवेदकों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकेगा। यदि आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा कराई जायेगी तो उससे संबंधित समस्त जानकारी पृथक से रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में यथा समय सूचित की जायेगी। लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदक को आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

नौ. आवेदन प्रक्रिया- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

दस. प्रत्येक उम्मीदवार का एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर आवेदक का पूरा नाम तथा वर्तमान पता लिखना अनिवार्य होगा। लिफाफे के शीर्ष पर विज्ञापन क्रमांक तथा आवेदित पद का नाम तथा विभाग

<p>अवश्य अंकित करें।</p> <p>ग्यारह. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।</p> <p>बारह. आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -</p> <p>(i) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-एक</p> <p>(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में जानकारी तथा निर्देश परिशिष्ट-दो</p>	<p>उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. www.mponline.gov.in 2. www.mppsc.com 3. www.mppsc.nic.in <p>2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फॉन नंबर सहित उपलब्ध है।</p> <p>3. आवेदक स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।</p> <p>4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।</p> <p>5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अचूकी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।</p> <p>6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, उत्तीर्ण करने का वर्ष औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।</p>
<p align="center">परिशिष्ट-1</p> <p>(एक) उच्चतम आयु सीमा में छूटें</p> <p>(1) भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।</p> <p>(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जावेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।</p> <p>(3) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।</p> <p>टीप:- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवाषिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवाषिकी आयु 60 वर्ष है)</p> <p>(4) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित है) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।</p> <p>(5) सा.प्र.वि. के ज्ञापन क्रमांक सी-124-तीन/आर-88/1(11-1) 66 दिनांक 1.1.1963 के बाद में नेशनल क्रेडिट कोर में पूर्णकालिक अनुदेशक के रूप में भर्ती हुए हों तथा उसके प्रारंभिक बड़े हुए कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए हों, ऐसे आवेदकों हेतु उनकी पिछली सेवा अवधि घटायी जा सकेगी परंतु परिणामस्वरूप निकलने वाली आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।</p> <p>(6) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।</p>	<p>7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।</p> <p>8. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। साथ ही आवेदक को उसके द्वारा प्रविष्टि किये गये आवेदन-पत्र की प्रति भी प्राप्त होगी जिसमें उसके द्वारा की गयी समस्त प्रविष्टियां उल्लेखित होंगी। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।</p>
<p>स्पष्टीकरण-</p> <p>छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवानिवृत्त किया गया हो।</p> <p>(7) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।</p> <p>(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें</p> <p>(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।</p> <p>(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जावेगी।</p>	<p>9. आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश-</p> <p>(1) ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र की एक छायाप्रति करायें। उक्त छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखें।</p> <p>(2) मूल आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें तथा उसके साथ प्राप्तकर्ता के स्थान पर अपना वर्तमान पता लिखें हुए तथा 6/- रुपये के डाक टिकट लगे दो लिफाफे संलग्न करें।</p> <p>(3) आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न अभिलेख/लिफाफे एक लिफाफे में रखें। एक लिफाफे में केवल एक आवेदन पत्र रखें।</p> <p>(4) लिफाफे के ऊपर प्रेषक के स्थान पर अपना नाम तथा वर्तमान पता एवं लिफाफे के शीर्ष पर विज्ञापन क्रमांक तथा आवेदित पद एवं विभाग का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें। उक्त विवरण के बिना प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचारण संभव नहीं होगा।</p> <p>(5) आवेदन-पत्र पंजीबद्ध डाक अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से आयोग कार्यालय को भेजें।</p> <p>(6) ध्यान रखें सहपत्रों सहित उक्त आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2010 को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जायेगा।</p> <p>(7) आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जायेगी।</p>
<p>टीप-</p> <p>(1) परिशिष्ट-एक (एक) में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिंदु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।</p> <p>(2) परिशिष्ट-एक (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।</p> <p>(3) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित है) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम छूट वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।</p> <p>नोट- उपरोक्त परिशिष्ट-एक (एक) और परिशिष्ट-एक (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।</p>	<p align="center">परिशिष्ट-2</p> <p align="center">ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी</p> <p>1. सहायक संचालक योजना Assistant Director (Planning), सहायक संचालक (सर्वे प्रोजेक्ट) Assistant Director (Survey Project), सहायक संचालक (रिसर्च) Assistant Director (Research), के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-</p> <p>11. विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।</p> <p>12. आवेदक www.mponline.gov.in से ही आयोग कार्यालय में अपने आवेदन पत्र की प्राप्ति की सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी होगी।</p> <p>13. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।</p> <p>2. आवेदन शुल्क</p> <p>(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में आते हैं वे ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं तथा उनके लिये आवेदन शुल्क रुपये 30/- देय होगा।</p> <p>(ब) उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को रुपये 40/- पोर्टल शुल्क देय होगा। आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।</p> <p>एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026 फॉन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री) मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980</p> <p>(स) यदि लिखित परीक्षा आयोजित होती है तो आवेदक को आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।</p> <p>टीप- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा:-</p>

1. आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
 2. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।
- नोट:-** यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दशाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें:-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर
(0731) 2701624, 2701983

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026
फ़ोन (0755) 2418599, 2418600, 2418706, 2418617,
कॉल सेंटर- 18002335343 तथा 155343 (टोल फ्री)
मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) विपुल 9424719269, तनमय तिवारी 3900282449
एवं राजेश गुर्जर 9009841980

3. **आवेदन की अंतिम तिथि**
(अ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 01.09.2010** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।
(ब) स्वप्रमाणित सहपत्रों सहित आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 01.10.2010 (सायं 5.30 बजे तक)** है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किये जायेंगे तथा जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

4. आवेदक आयोग को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें -

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।

अनुभव के प्रमाण पत्र - अनुभव प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण पत्र-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।**

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-3) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-4 से 7 तक) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-1) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-2) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिचयन (Undertaking) प्रस्तुत करना

होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश**

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
2. प्रतिरूपण किया हो; या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
4. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
5. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
8. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
9. उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा -

- (क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या
- (ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-
(एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;
(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और
- (ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी बशर्ते इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -
(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

7. **अनर्हताएँ:-**

ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान -**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे आवेदकों को जो कहीं सेवारत न हो, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे :-

- (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रमाण हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- (2) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की तथा किराये की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो।

2. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

प्रभारी सचिव